झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–04/2025 /रॉची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, रॉची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– नॉलेज सिटी, खूँटी के लिए खूँटी अंचल के मौजा–बिरहू में चिन्हित/हस्तांतरित भूमि के चाहरदीवारी के निर्माण कार्य के निमित राशि रू0 1,74,00,000/– (रू0 एक करोड़ चौहत्तर लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत नॉलेज सिटी, खूँटी में विभिन्न उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है। वर्त्तमान में नॉलेज सिटी हेतु मौजा–बिरहू तथा इदरी में क्रमशः 44.76 एकड़ तथा 152.70 एकड़ भूमि चिन्हित/कर्णांकित है। उक्त भूमि पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अभियंत्रण महाविद्यालय आदि की स्थापना प्रस्तावित है। मौजा–बिरहू में चिन्हित/हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 08/योजना दिनांक 12.06.2025 द्वारा रू0 2,31,62,000/– (रू0 दो करोड़ एकतीस लाख बासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति आदेश प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 1475(नि) दिनांक 01.06.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में खूँटी अंचल के मौजा–बिरहू में नॉलेज सिटी, खूँटी के लिए हस्तांतरित/चिन्हित भूमि के चाहरदीवारी निर्माण आदि कार्य के निमित विपत्र भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रू0 1,74,00,000/– (रू0 एक करोड़ चौहत्तर लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण– इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार (Sub Scheme Head-01 –राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार) विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण के निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी। विपत्र कोड़ – 43S42020279606010545

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

5. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–04/2025 /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–04/2024– 10/योजना /राँची, दिनांक– 29/06/2026
प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, खूँटी/कुलपति, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.6.26
सरकार के प्रधान सचिव
Saurav